

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

27 / 2026

जाकिर हुसैन निवासी राज टाकिज के पास सैनी नगर, टोंक राज0 —अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 09.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 7.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. तहसीलदार भू अभिलेख टोंक द्वारा खसरा संख्या 5408/2 से संबंधित जो जांच रिपोर्ट उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट टोंक के पत्रांक: पी.ए./2022/871 दिनांक 08.06.2022 द्वारा जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित गई है, वह कार्यालय में किस दिनांक को प्राप्त हुई ? (डायरी नम्बर सहित)
2. उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (नोटशीट फाइल मूवमेंट की प्रमाणित प्रति) की सूचना एक एक प्रति में उपलब्ध कराए।
3. यदि उक्त जांच रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है. तो उसके कारण बताने वाले अभिलेख/टिप्पणी की प्रमाणित सूचना एक एक प्रति में उपलब्ध करावे।
4. जांच रिपोर्ट पर निर्णय पारित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/शाखा का नाम व पद नाम क्या है?
5. क्या उक्त जांच रिपोर्ट पर स्पीकिंग ऑर्डर (SPEAKING ORDER) पारित करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए।
6. यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की दंडात्मक राजस्व कार्यवाही प्रस्तावित की गई है. तो उसकी वर्तमान स्थिति की सूचना प्रदान की जाए। उक्त चाही गई सूचना मेरी निजी है।


अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की जायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 497 दिनांक 11.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 112 दिनांक 17.03.2026 से



जवाब प्रति प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दू संख्या 1 का संबंध कार्यालय हाजा से होने के कारण पत्र क्रमांक आर.टी.आई./2026/122 दिनांक 10.02.2026 से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है एवं शेष सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा कलेक्टर टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 123-124 दिनांक 10.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 547 दिनांक 23.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 1776 दिनांक 02.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचना उनके पत्र क्रमांक 1373 दिनांक 06.03.2026 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एवं भू.अ. शाखा कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक
टोंक